

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद-196 / 2009

शत्रुघ्न राय.....वादी

बनाम

मो0 सिया देवी वगैरहप्रतिवादीगण

आदेश

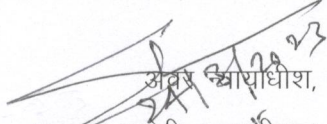
24.03.23 अभिलेख आज वादी की ओर से साक्ष्य अधिनियम की धारा-74 के अंतर्गत दाखिल दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने के लिए दाखिल आवेदन दिनांक-03.02.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक-17.02.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि उनकी ओर से पुनरीक्षित सर्वे खतियान, खाता सं0-755 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सका है इसलिए उसे न्यायहित में प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के संबंध में तथा दस्तावेज की सुसंगतता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा उपरोक्त आवेदन धारा-76 में दाखिल किया जाना चाहिए। अतः खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दिनांक-06.02.2014 को अन्य दस्तावेजों के साथ खतियान, अंतर्गत खाता सं0-755 नबिस्ते लालबाबू महतो वगैरह का दाखिल किया गया है जो बीच से फटा है, परन्तु इस दस्तावेज के प्रदर्श अंकित किए जाने में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्यायहित में उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है और पुनरीक्षित सर्वे खतियान बतौर **प्रदर्श-5** अंकित किया जाता है। **कार्यालय प्रदर्श सूचि तैयार करें।**

वाद दिनांक- 12-05-2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।


अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।